

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 68/2024
अनवान : –

1. कुलदीप पुत्र मंगतू राम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 02/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94/94 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम कुलदीप सिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कुलदीप है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम कुलदीप सिंह के स्थान पर कुलदीप दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज नाम दुरुस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम कुलदीप सिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कुलदीप है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम कुलदीप सिंह के स्थान पर कुलदीप दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94/94 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी अपना नाम कुलदीप सिंह के स्थान पर कुलदीप दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम कुलदीप दर्ज है तथा प्रार्थी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत सोनड़ी द्वारा भी तस्दीक पेश की गई है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94/94 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम कुलदीप सिंह पुत्र मंगतूराम के स्थान पर कुलदीप पुत्र मंगतू राम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/05/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2025/505

दिनांक : 07/05/25

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :- प्रकरण स0 68/2024 अनवानी कुलदीप बनाम
सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या - 68/2024

अनवान : -

1. कुलदीप पुत्र मंगतू राम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94/94 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम कुलदीप सिंह पुत्र मंगतूराम के स्थान पर कुलदीप पुत्र मंगतू राम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर